संघे शक्ति सर्वदा | सत्यमेव जयते | लेखपाल संघ जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी0 संख्या : 75-4/।।-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005

web.www.lekhpal.wordpress.com

Email : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600
पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री
+91-9760398504
पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रुड़की रोड, निकट छटी वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो. 9758547258

भूपेन्द्र सिंह
(मध्य जोन)
मो. 9198895639

धनंजय कुमार श्रीवास्तव
(पूर्वी जोन)
मो. 9005376263

संगठन मंत्रीगण

नीरज कुमार राठौर
(पश्चिमी जोन)
मो. 9936201234

मनीष कुमार पाठक
(मध्य जोन)
मो. 9454449099

करुणेश सिंह
(पूर्वी जोन)
मो. 8874060600

कोषाध्यक्ष

सुजीत सिकन्दर
मो. 9415607229

लेखा परीक्षक

शमशेर सिंह
मो. 8168037301

पत्रांक ....45/अधिवेशन..... दिनांक ..17.09.2025...

सेवा में,

मा0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय
उ0 प्र0 लखनऊ

विषय:- सामान्य/ उप निर्वाचन के दौरान लगभ दो महीना की अवधि में विविध चुनाव कार्यो के सम्पादन में दिन रात लगे रहने के बावजूद पूर्व की भांति विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के श्रम साध्य कार्यो हेतु मानदेय स्वीकृति पत्र 05-09-2024 में भी लेखपालो की उपेक्षा के कारण अपरिभाषित निर्वाचन कार्यो का भविष्य में बहिष्कार विषयक।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि सामान्य/उप निर्वाचन के दौरान लगभ दो महीना की अवधि में लेखपाल की भूमिका से महोदय स्वंय भिज्ञ है। मतदेय स्थलो के भौतिक सत्यापन, सम्भाजन, निर्धारण से लेकर ई वी एम सेटिंग/रेंडमाईजेशन, चुनाव सामग्री वितरण/संकलन (आदि से लेकर अंत) तक चुनाव कार्य में लेखपाल दिन रात लगा रहता है। उक्त कार्य के सम्पादन में लेखपाल का श्रम एवं धन दोनों लगते है किंतु लेखपाल को कोई मानदेय/प्रोत्साहन राशि अनुमन्य नही है।

महोदय निर्वाचन कार्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि में लेखपाल को निर्वाचन कर्मी मानने एवं लेखपाल द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान विविध प्रकार के निर्वाचन सम्बंधित कार्यो के सम्पादन हेतु अन्य निर्वाचन कर्मियो की भांति एक महीना के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि/मानदेय अनुमन्य किए जाने की मांग लम्बे समय से उ0 प्र0 लेखपाल संघ द्वारा शासन एवं निर्वाचन आयोग से की जा रही है।

महोदय सादर अवगत कराना है कि दिनांक 22 अक्टुबर 2018 को तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय एवं दिनांक 25-10-2018 को मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विषय में चर्चा की गई थी और उ प्र लेखपाल संघ को आश्वासन दिया गया था। मा0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 30-11-2018 के द्वारा समस्त जिला अधिकारियों से सामान्य/ उप निर्वाचन के दौरान लेखपालो

(P.T.O.)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सम्पादित किए जाने वाले निर्वाचन सम्बंधित विविध कार्यो के सम्बंध में आख्या भी मांगी गयी थी किंतु परिणाम आज तक अप्राप्त है। मा0 मुख्य सचिव महोदय को पुन: दिनांक 05-04-2024 को तथा महोदय को दिनांक 06-04-2024 को उ प्र लेखपाल संघ द्वारा पत्र प्रस्तुत कर मानदेय /प्रोत्साहन राशि के रूप में एक महीना के वेतन के बराबर राशि भुगतान की मांग की गई है। मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय द्वारा भी दिनांक 07-08-2024 को महोदय के विचार्थ पत्र प्रेषित किया गया है।

महोदय निर्वाचन विभाग द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 05-09-2024 में लेखपाल संवर्ग का नाम शामिल न देख कर संवर्ग में घोर निराशा हुई है। पत्र में ऐसे सवर्गो,जिनकी भूमिका/श्रम लेखपाल के बराबर नही है , के नाम शामिल देख कर और लेखपाल संवर्ग का नाम शामिल न पाकर,लेखपाल संवर्ग लगातार उपेक्षा का शिकार होने के कारण आक्रोशित है।

महोदय उ0 प्र0 राजस्व विभाग के 30837 (कार्यरत लगभग 25000) लेखपालो की भावनाओ के दृष्टिगत उ0 प्र0 लेखपाल संघ द्वारा सामान्य/ उप निर्वाचन के दौरान केवल निर्वाचन आयोग द्वारा लेखपालो के सम्पादन हेतु निर्धारित/परिभाषित निर्वाचन कार्यो यथा बी एल ओ/पर्यवेक्षक,बूथ निर्माण आदि (जिनका मानदेय/प्रतिपूर्ति राशि भुगतान अनुमन्य है) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का (मतदेय स्थलो के भौतिक सत्यापन सम्भाजन निर्धारण से लेकर ई वी एम सेटिंग/रेंडमाईजेशन, चुनाव सामग्री वितरण/संकलन आदि) अपरिभाषित निर्वाचन कार्य लेखपालो द्वारा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन/सामान्य निर्वाचन के दौरान नही किया जाएगा।

महोदय उपरोक्त निर्णय निर्वाचन विभाग द्वारा लेखपाल संवर्ग की लगातार उपेक्षा के कारण लिया गया है। महोदय लोक प्रिय एवं कर्मचारी कल्याण हेतु प्रतिबद्ध जिला अधिकारी के रूप में लेखपालो के मुखिया रहे है। अत: निर्वाचन विभाग के शासनादेश संख्या 08/2024/197/61-2024 दिनांक 05 सितम्बर 2024 के क्रम में लेखपालो के लिए भी एक महीना के वेतन के बराबर मानदेय/प्रोत्साहन राशि अनुमन्य करते हुए निर्गत करने की कृपा करे।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु -

1- मा0 मुख्य सचिव महोदय उ0 प्र0 शासन

2- मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय उ0 प्र0 शासन

3- मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदया राजस्व परिषद उ0 प्र0

4- मा0 प्रदेश अध्यक्ष उ0 प्र0 लेखपाल संघ

5- श्रीमान समस्त जिला अधिकारी महोदय उ0 प्र0

6- समस्त प्रांतीय मण्डलीय एव जनपद व तहसील पदाधिकारीगण उ0 प्र0 लेखपाल संघ

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सम्पादित किए जाने वाले निर्वाचन सम्बंधित विविध कार्यो के सम्बंध में आख्या भी मांगी गयी थी किंतु परिणाम आज तक अप्राप्त है। मा0 मुख्य सचिव महोदय को पुन: दिनांक 05-04-2024 को तथा महोदय को दिनांक 06-04-2024 को उ प्र लेखपाल संघ द्वारा पत्र प्रस्तुत कर मानदेय /प्रोत्साहन राशि के रूप में एक महीना के वेतन के बराबर राशि भुगतान की मांग की गई है। मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय द्वारा भी दिनांक 07-08-2024 को महोदय के विचार्थ पत्र प्रेषित किया गया है।

महोदय निर्वाचन विभाग द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 05-09-2024 में लेखपाल संवर्ग का नाम शामिल न देख कर संवर्ग में घोर निराशा हुई है। पत्र में ऐसे सवर्गो,जिनकी भूमिका/श्रम लेखपाल के बराबर नही है , के नाम शामिल देख कर और लेखपाल संवर्ग का नाम शामिल न पाकर,लेखपाल संवर्ग लगातार उपेक्षा का शिकार होने के कारण आक्रोशित है।

महोदय उ0 प्र0 राजस्व विभाग के 30837 (कार्यरत लगभग 25000) लेखपालो की भावनाओ के दृष्टिगत उ0 प्र0 लेखपाल संघ द्वारा सामान्य/ उप निर्वाचन के दौरान केवल निर्वाचन आयोग द्वारा लेखपालो के सम्पादन हेतु निर्धारित/परिभाषित निर्वाचन कार्यो यथा बी एल ओ/पर्यवेक्षक,बूथ निर्माण आदि (जिनका मानदेय/प्रतिपूर्ति राशि भुगतान अनुमन्य है) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का (मतदेय स्थलो के भौतिक सत्यापन सम्भाजन निर्धारण से लेकर ई वी एम सेटिंग/रैंडमाईजेशन, चुनाव सामग्री वितरण/संकलन आदि) अपरिभाषित निर्वाचन कार्य लेखपालो द्वारा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन/सामान्य निर्वाचन के दौरान नही किया जाएगा।

महोदय उपरोक्त निर्णय निर्वाचन विभाग द्वारा लेखपाल संवर्ग की लगातार उपेक्षा के कारण लिया गया है। महोदय लोक प्रिय एवं कर्मचारी कल्याण हेतु प्रतिबद्ध जिला अधिकारी के रूप में लेखपालो के मुखिया रहे है। अत: निर्वाचन विभाग के शासनादेश संख्या 08/2024/197/61-2024 दिनांक 05 सितम्बर 2024 के क्रम में लेखपालो के लिए भी एक महीना के वेतन के बराबर मानदेय/प्रोत्साहन राशि अनुमन्य करते हुए निर्गत करने की कृपा करे।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु -

1- मा0 मुख्य सचिव महोदय उ0 प्र0 शासन
2- मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय उ0 प्र0 शासन
3- मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदया राजस्व परिषद उ0 प्र0
4- मा0 प्रदेश अध्यक्ष उ0 प्र0 लेखपाल संघ
5- श्रीमान समस्त जिला अधिकारी महोदय उ0 प्र0
6- समस्त प्रांतीय मण्डलीय एव जनपद व तहसील पदाधिकारीगण उ0 प्र0 लेखपाल संघ

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-08/2024/197 /61-2024

प्रेषक,

नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांक 05 सितम्बर, 2024

विषयः-विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के श्रमसाध्य कार्यो हेतु मानदेय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1519/सी0ई0ओ0-1-17/1-2022/1-2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 एवं पत्र संख्या-786/सी0ई0ओ0-1-17/1-2022/1-2022 दिनांक 29 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के श्रमसाध्य कार्यो हेतु एक माह का मूल वेतन के समतुल्य मानदेय की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त आपके उक्त संदर्भित पत्रों के तालिका भाग-अ में उल्लिखित विधान सभा सामान्य-2022 के श्रमसाध्य कार्यो से जुड़े कार्मिकों तथा निर्वाचन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता एवं उनके द्वारा निर्वहन किये गये दायित्वों के अनुसार एक माह के मूल वेतन के समतुल्य मानदेय, जिसकी कुल अनुमानित लागत रू0 11,53,99,100-00 (रू ग्यारह करोड़ तिरपन लाख निन्यानबे हजार एक सौ मात्र) आगणित है, को निम्नानुसार स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

भाग- (अ) निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े नियमित अधिकारी नियमित कर्मचारी:-

क्र0 सं0	लाभार्थियों की श्रेणी	विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु-			
		प्रस्तावित मानदेय की दर	01 माह का अनुमानित मूल वेतन (रू0)	अनुमानित संख्या	अनुमानित व्यय (रू0)
1	2	3	4	5	6
1	समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	01 माह का मूल वेतन	120000.00	75	9000000.00
2	समस्त रिटर्निंग आफिसर, उत्तर प्रदेश	01 माह का मूल वेतन	60000.00	403	24180000.00
3	समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसर, उत्तर प्रदेश	01 माह का मूल वेतन	50000.00	925	46250000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

4	विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्यरत समस्त नियमित अधिकारी/ नियमित कर्मचारी	01 माह का मूल वेतन	....	58	4212100.00
5	निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियमित अधिकारी/ नियमित कर्मचारी				
	(1) अनु सचिव	01 माह का मूल वेतन	86000.00	2	172000.00
	(2) निजी सचिव/ अपर निजी सचिव (सचिव, निर्वाचन हेतु)	01 माह का मूल वेतन	83000.00	2	166000.00
	(3) निजी सचिव/ अपर निजी सचिव (विशेष सचिव, निर्वाचन हेतु)	01 माह का मूल वेतन	83000.00	2	166000.00
	(4) अपर निजी सचिव (संयुक्त सचिव, निर्वाचन हेतु)	01 माह का मूल वेतन	55000.00	1	55000.00
	(5) अनुभाग अधिकारी	01 माह का मूल वेतन	83000.00	1	83000.00
	(6) समीक्षा अधिकारी	01 माह का मूल वेतन	58000.00	3	174000.00
	(7) सहायक समीक्षा अधिकारी	01 माह का मूल वेतन	52000.00	1	52000.00
	(8) कम्प्यूटर सहायक (नियमित)	01 माह का मूल वेतन	35000.00	1	35000.00
	(9) वरिष्ठ अनुसेवक (नियमित)	01 माह का मूल वेतन	43000.00	1	43000.00
	(10) अनुसेवक (नियमित)	01 माह का मूल वेतन	41000.00	1	41000.00
6	जिला निर्वाचन कार्यालयों के समस्त नियमित अधिकारी व नियमित कर्मचारी:-				
	(1) उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	01 माह का मूल वेतन	90000.00	75	6750000.00
	(2) सहायक ज़िला निर्वाचन अधिकारी	01 माह का मूल वेतन	55000.00	31	1705000.00
	(3) प्रधान सहायक	01 माह का मूल वेतन	55000.00	66	3630000.00
	(4) वरिष्ठ सहायक	01 माह का मूल वेतन	50000.00	204	10200000.00
	(5) कनिष्ठ सहायक	01 माह का मूल वेतन	25000.00	87	2175000.00
	(6) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित)	01 माह का मूल वेतन	20000.00	53	1060000.00
	(7) स्टेनो (नियमित) (02 प्रति जिलाधिकारी कार्यालय)	01 माह का मूल वेतन	25000.00	150	3750000.00
	(8) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित) (01 प्रति जिलाधिकारी कार्यालय)	01 माह का मूल वेतन	20000.00	75	1500000.00
			योग-	**2217**	**115399100.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय अशा0 **संख्या-E-12-216-X-2024-25, दिनांक: 29-08-2024** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(नवदीप रिणवा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निर्वाचन अनुभाग-1, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ)
3. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निर्वाचन अनुभाग-1, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ)
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल

संख्या– 938 /एक–9–2024

प्रेषक,

घनश्याम चतुर्वेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–09 लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2024

विषयः– सामान्य/उप निर्वाचन के दौरान लेखपालों द्वारा संपादित कार्यों हेतु पारिश्रामिक/मानदेय निर्धारित करते हुए भुगतान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री विनोद कुमार कश्यप प्रदेश महामंत्री, उ0प्र0 लेखपाल संघ के पत्र दिनांक 20.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि लेखपालों द्वारा निर्वाचन प्रकिया के दौरान मतदेय स्थलों के सम्भाजन, भौतिक सत्यापन, केद्रों के निर्धारण, आचार संहिता के अनुपालन में अपने क्षेत्र से पेंटिग, होल्डिग, बैनर आदि हटवाने आदि कार्यो का सम्पादन किया जाता है, किन्तु उक्त कार्यो हेतु लेखपालों को को पारिश्रामिक/मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है।

सामान्य/उप निर्वाचन के दौरान लेखपालों द्वारा संपादित कार्यों हेतु पारिश्रामिक/मानदेय निर्धारित करते हुए भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(घनश्याम चतुर्वेदी)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी0 संख्या : 75-4/11-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005

web.www.lekhpal.wordpress.com
Email : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600
पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री
+91-9760398504
पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रुड़की रोड, निकट छठी वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो. 9758547258

भूपेन्द्र सिंह
(मध्य जोन)
मो. 9198895639

धनंजय कुमार श्रीवास्तव
(पूर्वी जोन)
मो. 9005376263

संगठन मंत्रीगण

नीरज कुमार राठौर
(पश्चिमी जोन)
मो. 9936201234

मनीष कुमार पाठक
(मध्य जोन)
मो. 9454449099

करूणेश सिंह
(पूर्वी जोन)
मो. 8874060600

कोषाध्यक्ष

सुजीत सिकन्दर
मो. 9415607229

लेखा परीक्षक

शमशेर सिंह
मो. 8168037301

सं0 5723 प्र0स0/राजस्व/2024

पत्रांक 18/महामंत्री

प्र0स0 राजस्व

दिनांक 20.06.2024

सेवा में,

मा0 मुख्य सचिव महोदय
उ0प्र0 शासन।

(द्वारा प्रमुख सचिव (राजस्व) मुख्य सचिव)

विषयः– सामान्य/उप निर्वाचन के दौरान लेखपालों द्वारा सम्पादित कार्यों हेतु पारिश्रमिक/ मानदेय निर्धारित करते हुए भुगतान किये जाने विषयक।

महोदय,

निर्वाचन कार्य में कार्य सम्पादन हेतु विभिन्न मदों में निर्वाचन विभाग द्वारा बजट प्रदान किया जाता है। जिसमें कार्य सम्पादन में होने वाले व्यय एवं कार्मिकों के पारिश्रमिक /मानदेय का भुगतान किया जाता है। सरकारी चालक, पुलिस, निरीक्षक, सिपाही, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फ्लाइंग स्क्वाएड, माइक्रो पर्यवेक्षक, सेक्टर/जोनल पदाधिकारी, स्टेटिक सर्विलांस टीम, एकाउन्टिंग टीम आदि को निर्वाचन में ड्यूटी हेतु यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता /पारिश्रमिक दिया जाता है।

महोदय राजस्व लेखपाल निर्वाचन प्रकिया के दौरान लगभग 02 महीने के दौरान मतदेय स्थलों के सम्भाजन, भौतिक सत्यापन, केन्द्रों के निर्धारण, आचार संहिता के अनुपालन में अपने क्षेत्र से पेंटिग, होर्डिग, बैनर आदि हटवाने, सभा रैली आदि की निगरानी आदि कार्य तथा चुनाव पर्यवेक्षक को भ्रमण कराने से लेकर मतदाता सूची वर्किंग शीट तैयार करना, ईवी0एम0 व वी0वी0पैड मशीनों की रैडमाइजेशन, सेटिंग, सीलिंग व मॉक पोल द्वारा जांच, मतदान सामग्री की पैकेटिंग तथा पोलिंग पार्टियों को सामग्री वितरण, मतदान के दौरान प्रशासनिक सहयोग में भ्रमण के बाद मतदान उपरान्त ई0वी0एम0 मशीन व अन्य सामग्री जमा कराना, स्ट्रांग रूम में संरक्षित करवाना, मतगणना के दौरान स्ट्रांग रूम से मतगणना टेबिल पर कन्ट्रोल यूनिट आदि पहुंचाना तथा मतगणना की टैबुलेशन कार्य आदि अधिकारियों द्वारा सौपें गये विविध कार्यों का सम्पादन करता है। उक्त दो माह की अवधि में लेखपाल दिन–रात प्रशासनिक सहयोग में कार्य करता है। उक्त समस्त कार्यों के सम्पादन में श्रम एवं धन व्यय के वावजूद लेखपाल को निर्वाचन कार्यालय द्वारा पारिश्रमिक/मानदेय का कोई भुगतान नहीं किया जाता है।

महोदय वर्ष 2018 में मा0 मुख्य सचिव महोदय एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी से हुई वार्ता में लेखपालों द्वारा निर्वाचन के दौरान किये जाने वाले कार्यो को परिभाषित कर पारिश्रमिक /मानदेय भुगतान का आश्वासन दिया गया था जिसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्र संख्या 2186/सी0ई0ओ0–1–30/1–2018 लखनऊ दिनांक 19.11.2018 तथा पत्र संख्या 2238/ सी0ई0ओ0–1–30/1–2018 लखनऊ दिनांक 30.11.2018 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों से सामान्य निर्वाचन /उप निर्वाचन में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी थी।

महोदय नवम्बर 2018 में उपरोक्त आख्या के पश्चात लेखपालों को चुनाव सम्पादन हेतु किये जाने वाले कार्यों के लिए किसी प्रकार के पारिश्रमिक /मानदेय भुगतान के निर्देश निर्गत नहीं किये जा सके हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सामान्य/उप निर्वाचन के दौरान लेखपालों द्वारा सम्पादित कार्यों हेतु पारिश्रमिक/ मानदेय निर्धारित करते हुए भुगतान के निर्देश निर्गत कराने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
बरेली।

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

पत्र सं0-316 /29-2-(2019) दिनांक 25 जनवरी, 2019

विषय:- उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपने कार्यालय के पत्र सं0 2186/सी0ई0ओ0-1-30/1-2018 लखनऊ दिनांक 19.11.18 तथा पत्र सं0 2238/सी0ई0ओ0-1-30/1-2018 लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा सामान्य निर्वाचन/उपनिर्वाचन में लेखपाल के मतदान संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख करते हुये आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में कृपया अवगत कराना है कि सामान्य निर्वाचन /उपनिर्वाचन में लेखपालो द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते है:-

1- मतदेय स्थलों के संगाजन संबंधी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
2- मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर भवन की स्थिति ,पानी,छाया,रैम्प,प्रकाश की व्यवस्था,शौचालय आदि के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराना ।
3- मतदान केन्द्रों के निर्धारण संबंधी कार्य में सहयोग करना।
4- मतदेय स्थलो की संवेदनशीलता के संबंध में आख्या उपलब्ध कराना।
5- मतदेय स्थलो पर बूथ संख्या एवं संबंधित सूचनाए पेन्ट कराना तथा फोटो ग्राफी,वीडियोग्राफी कराकर संबंधित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना।
6- मतदान केन्द्रों को जाने वाले रास्ते का निरीक्षण कर रिपोर्ट देना तथा मतदेय स्थलो तक पोलिंग पार्टियो को पहुचाने हेतु रूट का निर्धारण कराना।
7- पोलिंग पार्टियो को देने एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यो के प्रयोग हेतु त्रुटिरहित वोटर लिस्ट की कार्यकारी प्रति(वर्किंग कापी) तैयार कराना।
8- ई0वी0एम0 व वी0पी0पैट की सेटिंग,सीलिंग तथा मॉक पोल द्वारा मशीनो की चेकिंग कराना।
9- पोलिंग पार्टियों को उपलब्ध कराने हेतु मतदान सामग्री की पैकेटिंग कराना।
10- आचार संहिता प्रभावी होने के बाद लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर प्रचार सामग्री/वाल पेन्टिग,झण्डे,बैनर आदि को हटवाना।
11- मतदान हेतु अपने लेखपाल क्षेत्रों में बूथो का निर्माण, बैरिकेटिंग आदि कराना तथा बूथो पर पोलिंग पार्टियो को ठहरने एवं निर्वाचन हेतु आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चित कराना।
12- निर्वाचन हेतु पोलिंग पार्टियो को मतदान सामग्री वितरित कराना तथा मतदान उपरान्त जमा कराने में सहयोग करना।
13- मतदान के दिनांक को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था एवं शान्तीपूर्ण निर्वाचन कराने में सहयोग/सूचना प्रदान करना।
14- आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के उपरान्त क्षेत्र में बिना अनुमति प्राप्त किये किसी भी प्रचार, वाहन गतिविधि,सभा,रैली आदि की सूचना रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराना।
15- आचार संहिता प्रभावी होने के बाद चुनावी सभाओ,रैलियों आदि की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी में सहयोग प्रदान करना।
16- मतगणना के दौरान सौपे गये दायित्वो का निवार्हन करना।
17- स्वीप गतिविधियों में ई0वी0एम0/वी0वी0पैट का मतदाताओं के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार कराना।
18- दिव्यांग मतदाताओं की पहचानकर टेगिंग कराने मे बी0एल0ओ0 को सहयोग प्रदान करना तथा मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को मतदेय स्थल तक पहुँचाने हेतु सहयोग प्रदान करना।

आख्या सादर प्रेषित।

21/1/2019

(रामसेवक द्विवेदी)
अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
बरेली।

प्रतिलिपि :- जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, बरेली को सादर सूचनार्थ।

21/1/2019

अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
बरेली।

Scanned with OKEN Scanner

संघे शक्ति सर्वदा

सत्यमेव जयते

लेखपाल संघ जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी0 संख्या : 75-4/11-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005

web.www.lekhpal.wordpress.com

Email : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600
पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री
+91-9760398504
पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रुड़की रोड, निकट छटी वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो. 9758547258

भूपेन्द्र सिंह
(मध्य जोन)
मो. 9198895639

धनंजय श्रीवास्तव
(पूर्वी जोन)
मो. 9005376263

संगठन मंत्रीगण

नीरज कु0 राठौर
(पश्चिमी जोन)
मो. 9936201234

मनीष कु0 पाठक
(मध्य जोन)
मो. 9415463925

करुणेश सिंह
(पूर्वी जोन)
मो. 8874060600

कोषाध्यक्ष

सुजीत सिकन्दर
मो. 9415607229

आडीटर

शमशेर सिंह
मो. 8168037301

पत्रांक 05/महामंत्री

दिनांक 06.04.2024

सेवा में,

मा0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उ0प्र0।

विषयः— सामान्य/उप निर्वाचन के दौरान लेखपालों द्वारा सम्पादित कार्यों हेतु पारिश्रमिक/ मानदेय निर्धारित करते हुए भुगतान किये जाने विषयक।

महोदय,

निर्वाचन कार्य में कार्य सम्पादन हेतु विभिन्न मदों में निर्वाचन विभाग द्वारा बजट प्रदान किया जाता है। जिसमें कार्य सम्पादन में होने वाले व्यय एवं कार्मिकों के पारिश्रमिक /मानदेय का भुगतान किया जाता है। सरकारी चालक, पुलिस, निरीक्षक, सिपाही, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फ्लांइग स्क्वाएड, माइक्रो पर्यवेक्षक, सेक्टर/जोनल पदाधिकारी, स्टेटिक सर्विलांस टीम, एकाउन्टिंग टीम आदि को निर्वाचन में ड्यूटी हेतु यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता /पारिश्रमिक दिया जाता है।

महोदय राजस्व लेखपाल निर्वाचन प्रकिया के दौरान लगभग 02 महीने के दौरान मतदेय स्थलों के सम्भाजन, भौतिक सत्यापन, केन्द्रों के निर्धारण, आचार संहिता के अनुपालन में अपने क्षेत्र से पेंटिग, होर्डिंग, बैनर आदि हटवाने, सभा रैली आदि की निगरानी आदि कार्य तथा चुनाव पर्यवेक्षक को भ्रमण कराने से लेकर मतदाता सूची वर्किंग शीट तैयार करना, ईवी0एम0 व वी0वी0पैड मशीनों की रैडमाइजेशन, सेटिंग, सीलिंग व मॉक पोल द्वारा जांच, मतदान सामग्री की पैकेटिंग तथा पोलिंग पार्टियों को सामग्री वितरण, मतदान के दौरान प्रशासनिक सहयोग में भ्रमण के बाद मतदान उपरान्त ई0वी0एम0 मशीन व अन्य सामग्री जमा कराना, स्ट्रांग रूम में संरक्षित करवाना, मतगणना के दौरान स्ट्रांग रूम से मतगणना टेबिल पर कन्ट्रोल यूनिट आदि पहुंचाना तथा मतगणना की टैबुलेशन कार्य आदि अधिकारियों द्वारा सौपें गये विविध कार्यों का सम्पादन करता है। उक्त दो माह की अवधि में लेखपाल दिन—रात प्रशासनिक सहयोग में कार्य करता है। उक्त समस्त कार्यों के सम्पादन में श्रम एवं धन व्यय के बावजूद लेखपाल को निर्वाचन कार्यालय द्वारा पारिश्रमिक/मानदेय का कोई भुगतान नहीं किया जाता है।

महोदय वर्ष 2018 में मा0 मुख्य सचिव महोदय एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी से हुई वार्ता में लेखपालों द्वारा निर्वाचन के दौरान किये जाने वाले कार्यों को परिभाषित कर पारिश्रमिक /मानदेय भुगतान का आश्वासन दिया गया था जिसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्र संख्या 2186/सी0ई0ओ0—1—30/1—2018 लखनऊ दिनांक 19.11.2018 तथा पत्र संख्या 2238/सी0ई0ओ0—1—30/1—2018 लखनऊ दिनांक 30.11.2018 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों से सामान्य निर्वाचन /उप निर्वाचन में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी थी।

महोदय नवम्बर 2018 में उपरोक्त आख्या के पश्चात लेखपालों को चुनाव सम्पादन हेतु किये जाने वाले कार्यों के लिए किसी प्रकार के पारिश्रमिक /मानदेय भुगतान के निर्देश निर्गत नहीं किये जा सके हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सामान्य/उप निर्वाचन के दौरान लेखपालों द्वारा सम्पादित कार्यों हेतु पारिश्रमिक/ मानदेय निर्धारित करते हुए भुगतान के निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner